न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु जिला– बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री सज्जनराम आर.टी.एस

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का लुनाडा		लुणाराम / धुडाराम कौम मेघवाल निवासी लुनाडा

मुकदमा नम्बर 04 / 2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2077 में ग्राम **लुनाडा** के खसरा नम्बर **1134** बीघा रकबा क्रमश 26.13 बीघा में से 13.13 बीघा किस्म बा.सोयम **भूमि पर** अनाधिकृत रूप से काश्त / कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का **लूनाडा** द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किय है। विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान का ....गुणा राशि 100/- अखरे एक सौ रूपये जुर्माना आरोपित किये जाते है। जो विप्रार्थी से वसूल हो।

पटवारी हल्का अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना / शास्ति राशि वसूल करें तथा भू.अभिलेख निरीक्षक नीलामी की कार्यवाही कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार उक्त प्रकरण में मांग कायमी कर वसुली करें। पत्रावली बाद तकमील सुनार बाकल दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

आज दिनांक 25.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट बायतु